

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनार्थे झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 28.01.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री आलमगीर आलम स०वि०स०	<p>पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखण्ड के (1) पंचायत तारानगर में तोराई नदी किनारे ग्रामीण सड़क एवं घरों में कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (2) पंचायत झिकरहाटी पूर्वी इस्लामपुर में बदरूल के घर के पीछे मसना नदी किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य (3) पंचायत उदय नारायणपुर में टिकरपाड़ा कब्रिस्तान से बरगाछा जामतल्ला तक मसना नदी किनारे कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य, सहित साहेबगंज के प्रखण्ड के चार कटाव रोकने हेतु कटाव निरोधक कार्य योजना की स्वीकृति के लिए दिनांक- 02.02.2017 एवं दिनांक- 20.11.2017 को टी०आर०सी० की बैठक में अनुशंसित तथा एस०आर०सी० से अनुमोदित तथा दिनांक- 24.12.2018 को पुनः टी०आर०सी० की बैठक में स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गयी है जिसकी स्वीकृति अबतक लम्बित है।</p> <p>अतः टी०आर०सी० की बैठक में स्वीकृति हेतु अनुशंसित पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखण्ड एवं साहेबगंज के प्रखण्ड के वर्णित सभी कटाव निरोधक कार्य चालु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कराने हेतु मैं, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p>	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
02-	<p>श्रीमती गंगोत्री कुजूर स0वि0स0 श्री राम कुमार पाहन स0वि0स0</p>	<p>रौंची जिलान्तर्गत ईटकी प्रखण्ड के ईटकी मुख्य पथ सेंनोटेरियम से गुलामटोली होते हुए भोरो PMGSY पथ तक लगभग 9 K.M. सड़क की स्थिति गत 10 वर्षों से अत्यधिक जर्जर है जिसके कारण लोगों के आवागमन में कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है साथ ही आये दिन लगातार सड़क दुर्घटनायें होती रहती है जिसमें कई लोगों की जाने भी चली गयी। इस सम्बन्ध में विभागीय पत्राचार करने के बावजूद भी अबतक सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य नहीं किया गया।</p> <p>अतः उक्त विषय पर यथाशीघ्र दिशा-निर्देश कर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने की ओर आसन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट करते हैं।</p>	<p>ग्रामीण विकास</p>
03-	<p>श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0</p>	<p>हजारीबाग नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मौजा हजारीबाग, थाना संख्या-140 का जमाबन्दी पंजी एवं निबंधित कबूलियत पट्टा पर वर्ष 1916 के पूर्व से ही हजारीबाग नगर निगम का स्वामित्व रहा है तथा उक्त मौजा व थाना की भूमि का दाखिल खारिज एवं लगान रसीद भी निर्गत करना उक्त नगर निगम द्वारा ही किया जाता रहा है जिसके कारण उक्त निगम में सम्बंधित मौजा व थाना क्षेत्र के जमीनों के सारे कागजात उपलब्ध होने के बावजूद विगत कुछ वर्षों से उक्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों का दाखिल खारिज के साथ-साथ लगान रसीद नहीं काटा जा रहा है जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त निगम कार्यालय के पत्रांक- 2644 दिनांक- 28.08.2014, पत्रांक-1819 दिनांक- 03.06.2015 एवं पत्रांक- 3220 दिनांक- 08.09.2017 के माध्यम से उक्त संबंध में सचिव, नगर विकास एवं आवास</p>	<p>नगर विकास एवं आवास</p>

01.	02.	03.	04.
		<p>विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची से मार्गदर्शन/आदेश उपलब्ध कराने का आग्रह किये जाने के बावजूद सम्बंधित विभाग द्वारा अबतक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से उक्त गंभीर मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	
04-	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता स०वि०स०	<p>पलामू जिलान्तर्गत बटाने नदी पर 80 के दशक में हड़ीयाही डैम (बटाने डैम) का निर्माण किया गया था। डैम का काम पूरा हो गया, लेकिन डैम का कार्य पूरा होने के बाद भी आजतक वहाँ जल का संग्रह नहीं हुआ है। कुछ लोग निजी स्वार्थ में डैम का गेट उठाकर वेल्डिंग कर दिया गया है जिसके कारण जल संग्रह नहीं हो पा रहा है।</p> <p>अतः किसानों के हित को ध्यान रखते हुए मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा।</p>	जल संसाधन
05-	श्री नागेन्द्र महतो स०वि०स० प्र० जयप्रकाश वर्मा स०वि०स०	<p>राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन की समस्या गंभीर होती जा रही है। देश के अन्य राज्यों समेत विदेशों में मजदूरों का पलायन जारी है। अकेले गिरिडीह जिले के बगोदर, डुमरी तथा हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड से भारी तादाद् में मजदूर मलेशिया, इंडोनेशिया, अरबियन मुल्कों, अफगानिस्तान आदि में पलायन कर रहे हैं। ऐसे मजदूर बंधक बना लिये जाते हैं, मार दिये जाते हैं, फसे रह जाते हैं तथा दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।</p>	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		अतः पलायन न हो ग्रामीण स्तर पर निशेष कार्ययोजना बने तथा प्रवासी मजदूरों के हितार्थ सरकार से अलग कोषांग का गठन तत्काल करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	

राँची,
दिनांक- 28 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2019-.....⁹⁰¹...../वि० स०, राँची, दिनांक-24/01/19

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/ग्रामीण विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग एवं जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



22/01/19
(विष्णु पासवान)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2019-.....⁹⁰¹...../वि० स०, राँची, दिनांक-24/01/19

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


22/01/19
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-


24.01.19